न्यायालय भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 45/11 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. बनवारी पुत्र पोला राम जाति यादव निवासी ग्राम रडवा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:--- अपीलांट

बनाम

1. रोहिताश्व पुत्र पोलाराम जाति यादव निवासी ग्राम रडवा तहसील मुण्डावर जिला अलवर
2. सुशीला पुत्री रोहिताश्व पत्नि सरजीत जाति यादव निवासी ग्राम रडवा तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाला निवासी तिगांवा तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:---- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर
दिनांक 29.2.2008

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री जनार्दन शर्मा

2 वकील रेस्पो0 संख्या 1:- श्री संजय यादव

निर्णय दिनांक

---

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 82/07 में पारित निर्णय दिनांक 29.2.2008 के खिलाफ है जिसके द्वारा प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट स्वीकार किया गया है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned with Cam

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने धारा 212 आर0 टी0 एक्ट तहत न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम रडवा में जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 के खाता संख्या 108 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान 665, 412 कुल किता 2 रकबा 12 बिस्वा व खाता संख्या 110 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान 416, 417, 418, 419, 420, 423, 426, 552, 553, 558, 413 कुल किता 11 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा व खाता संख्या 111 में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बरान 653, 654, 655, 660, 661, 662, 673, 652 कुल किता 8 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा तथा खाता संख्या 122 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 431 रकबा 1 बीघा के कुल खसरा नम्बर में वादिया के पिता रोहिताश्व के 1/30 भाग में से वादिया का 1/2 हिस्सा है । खाता संख्या 150 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 175 रकबा 5 बीघा में से रोहिताश्व, बनवारी पुत्र पोला का 1 बीघा 10 बिस्वा में रोहिताश्व का 1/3 भाग में से वादिया का 1/2 हिस्सा है । खाता संख्या 151 में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 258, 259, 465, 257 कुल किता 4 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा में वादिया के पिता रोहिताश्व का 1/2 हिस्से में से वादिया का 1/2 हिस्सा है । जिस पर वादिया का कब्जा काश्त है । ये आराजीयात अप्रार्थी संख्या 01 को प्रार्थीया के दादा से विरासत में मिली है । अप्रार्थी संख्या 01 के कोई लडका नहीं है । मात्र प्रार्थीया ही अकेली वारिस है । भूमि दादालाई की है । परन्तु पैत्रिक सम्पत्ति को लोगों के बहकावे में अप्रार्थी खुर्द बुर्द करना चाहत हैं । जबकि वादिया का हिस्सा निहित है । अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है, जिसके खिलाफ यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय की अपीलांट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं हुई । अपीलांट का भाई रोहिताश्व, जो कि मुकदमे में पक्षकार है, ही तारीख पेशी पर आता था । उसने ही दिनांक 28.2.2011 को जानकारी दी । अतः जानकारी के अभाव में हुई देरी को कंडोन किया जावे और अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि विवादित आराजी में अपीलांट का हिस्सा है । वह रिकार्डेड खातेदार है । कानूनन रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ टी0 आई0 जारी नहीं की जा सकती । वादिया प्रार्थी रेस्पो0 संख्या 01 रोहिताश्व की पुत्री है । उसका अपीलांट की भूमि में कोई हिस्सा नहीं है । वह अपने पिता की भूमि में क्लेम कर सकती है । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया और अपीलांट की भूमि पर भी टी0 आई0 जारी कर दी । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned with Cam

4. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 का कथन है कि मैं आराजी का बेचान नहीं कर रहा हूं । विवादित आराजी दादालाई की नहीं है ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः लिबरल व्यू अपनाया जाकर देरी को कंडोन किया जाता है और अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

6. इसके पश्चात अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया । अपीलाधीन निर्णय की आदेशिका दिनांक 29.2.2008 के पैरा नम्बर 01 में वकील वादिया की बहस दर्ज की गई तथा पैरा नम्बर 02 में प्रतिवादी वकील की बहस अंकित की गई है । पैरा नम्बर 03 में मात्र यह अंकित किया गया है कि रिकार्ड व मौका की यथास्थिति रखने के आदेश दिये जाते हैं । यह अंकन अंतरिम आदेश जैसा है, अंतिम आदेश जैसा नहीं है । जबकि तहत न्यायालय ने अंतिम आदेश पारित किया है । अंतिम आदेश हेतु तहत न्यायालय को धारा 212 के तीनों बिन्दू विवेचित करने चाहिये थे । तहत न्यायालय का आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की संज्ञा में नहीं आता है । ऐसी स्थिति में स्पीकिंग ऑर्डर पारित करने हेतु हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.2.2008 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो उभयपक्ष को सुनकर धारा 212 के तीनों बिन्दुओं को विवेचित करते हुये पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक को पेश हो ।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned with Cam